प्रेस विज्ञप्ति
1.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने अवैध कॉल सेंटर चलाकर और विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धन-शोधन की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 187.13 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में हरियाणा, दिल्ली और गोवा में विभिन्न अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आलीशान फार्महाउस और विला भी हैं।

ईडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) की एफ.बी.आई. द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर, अमेरिकी नागरिकों से लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए अभियुक्तों के खिलाफ बी.एन.एस. 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत, सी.बी.आई. द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि डिजीकैप्स – द फ्यूचर ऑफ डिजिटल नामक अवैध कॉल सेंटर में 36 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें जिगर अहमद, यश खुराना, इंदरजीत सिंह भाली तथा निखिल शर्मा शामिल थे, जो जोनी, दक्षय सेठी तथा गौरव वर्मा की देखरेख में कार्य करते थे। उन्होंने तकनीकी सहायता कॉल सेंटर सेवा के बहाने अमेरिकी पीड़ितों से धोखाधड़ी की तथा इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों की महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली और उन्हें आईआरएस (इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, यूएसए) द्वारा वैधानिक कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पीड़ितों को अपनी धनराशि क्रिप्टो खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया, जिसे विदेशी पीड़ितों के खातों से क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित किया गया तथा तत्पश्चात अपराध के आगम को व्यक्तिगत लाभ के लिए ब्लिस इंफ्राप्रॉपर्टीज एलएलपी नामक शेल संस्था में स्थानांतरित कर अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।

इससे पूर्व, जनवरी एवं फरवरी, 2026 के दौरान ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न डिजिटल उपकरण बरामद किए गए, 34 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई तथा अभियुक्तों को भारत एवं विदेश में उच्च मूल्य के निवेश तथा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से जोड़ने वाले अपराध-संकेती अभिलेख बरामद किए गए।

जांच में आगे पता चला कि आरोपियों, अर्थात जोनी उर्फ जोनी त्यागी, दक्षय सेठी, राघव सतीहा, निखिल वर्मा, गौरव वर्मा और गौतम ढींगरा द्वारा अपराध से प्राप्त आगम को हरियाणा, दिल्ली और गोवा में अचल संपत्ति में लगाया गया था। तदनुसार, पीएमएलए, 2002 के तहत 187.12 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया।

आगे की जाँच जारी है।